

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

(पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ)
डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

कमांक एफ4(161)प्राशिमं/पाविप्र/10/ 8308

दिनांक 20/12/11

प्रधानाचार्य,

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,

अजमेर/अलवर/बॉसवाडा/बाड़मेर/भरतपुर/बीकानेर/चित्तौड़गढ़/खेतानजयपुर/जोधपुर/कोटा/पाली/
सवाईमाधोपुर/श्रीगंगानगर/सिरोही/नीमराना/राजसमद/झालावाड़/सीकर/चूरू/बिडला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
पिलानी/विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर।

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अजमेर, बीकानेर।


विषय:- सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चेक पाइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

संदर्भ:- विशेषाधिकारी महोदय का पत्रांक प.12(8)त.शि./2007 दिनांक 19.12.2011.

- राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किये गये संदर्भित पत्र की अनुपालना में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चेक पाइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-
1. मण्डल में सत्र 2005-06 में पंजीकृत सेमेस्टर प्रणाली के उन सभी विद्यार्थियों को अपने अनुत्तीर्ण रहे विषयों को बाह्य छात्र के रूप में उर्तीण करने के लिए अतिरिक्त अनुकम्पा अवसर प्रदान किया जायेगा जिन विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन चेक पाइन्ट 6.4.2 के अन्तर्गत मई 11 में निरस्त हुआ है।
 2. अतिरिक्त अवसर के उपभोग हेतु विद्यार्थी अपने प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण रहे विषयों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएँ मण्डल द्वारा नवम्बर 11 व द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण रहे विषयों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएँ मण्डल द्वारा मई 2012 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बाह्य छात्र के रूप में सम्मिलित होकर दे सकेगा।
 3. इस व्यवस्था के द्वारा विद्यार्थी अपने प्रत्येक अनुत्तीर्ण हुए विषय के लिए अधिकतम एक अवसर प्राप्त कर सकेगा।
 4. विद्यार्थियों के द्वारा पूर्व में अर्जित सेशनल अंक यथावत रहेंगे।
 5. कोई भी विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में अपना पंजीकरण नहीं करवा सकेगा। केवल बाह्य विद्यार्थी इन अवसरों का उपभोग कर सकेंगे।
 6. अतिरिक्त अवसर का उपभोग करने हेतु विद्यार्थी को परीक्षा फार्म के साथ प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहने के कारणों को स्पष्ट करेगा। संस्था प्रधान प्रत्येक प्रार्थना पत्र को अपनी टिपण्णी के साथ अग्रेषित करेगा। विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रधानाचार्य की टिपण्णी के आधार पर विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
 7. मण्डल द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा फार्म निरस्त किया जा सकता है।
 8. विद्यार्थी मण्डल द्वारा नवम्बर 11 (1, 3 व 5 सेमेस्टर) व मई 2012 (2, 4 व 6 सेमेस्टर) में आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा।
 9. अन्य नियम यथावत रहेंगे।

सभी विद्यार्थियों को तदनुसार सूचित करें।


भवदीय


संयुक्त निदेशक एवं सचिव
दिनांक

कमांक एफ 4(161)प्राशिमं/पाविप्र/10/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार,), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. विभागाध्यक्ष, प्रभारी (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. उपनिदेशक, प्रभारी (कम्प्यूटर शाखा), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. ईमेल- समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, द्वारा श्री पुखराज पालीवाल।


संयुक्त निदेशक एवं सचिव

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ-7()/प्राशिम/परीक्षा/2011/8311

दिनांक :- 20-12-2011

प्रधानाचार्य,
.....
.....
.....
.....

विषय :- सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चेकपॉइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ :- मण्डल के पत्रांक एफ-4(161)/प्राशिम/पाविप्र/10/8308 दिनांक :20-12-2011

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करे। पत्रानुसार सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में प्रवेशित चेक पॉइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों के लिए मण्डल द्वारा नवम्बर 2011 (1,3 व 5 सेमेस्टर) व मई 2012 (2, 4 व 6 सेमेस्टर) में आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के एक अतिरिक्त अवसर दिया गया है।

नवम्बर 2011 की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए संस्थान स्तर पर (1,3 व 5 सेमेस्टर) के बाह्य परीक्षा फार्म नियमानुसार दिनांक 06-01-2012 तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के भरवाये जा सकते है। परीक्षा फार्म मण्डल को वाहक के साथ दिनांक 09-01-2012 तक आवश्यक रूप से भिजवाये। तत्पश्चात् परीक्षा फार्म मण्डल द्वारा स्वीकार्य नहीं होंगे।

भवदीय



रजिस्ट्रार